न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्णगोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 1/2019 **दायर दिनांकः 02.01.2019**

1. अन्जना कुमारी आयु 25 वर्ष पत्नि चन्द्रप्रकाश जाति धाकड़ निवासी अमलावदा हाली तहसील छीपाबडौद जिला बारां (राज0)
2. कुन्जबिहारी आयु 68 वर्ष पुत्र हरिकिशन जाति धाकड़ निवासी दिलोद हाथी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रार्थीगण

बनाम

1. बद्रीलाल आयु 60 वर्ष पुत्र मन्नालाल जाति मीना निवासी हाथी दिलोद
2. प्रेमराज पुत्र कालूलाल जाति मीना निवासी हाथी दिलोद
3. बृजमोहन पुत्र कालूलाल जाति मीना निवासी हाथी दिलोद
4. बलराम पुत्र मोतीलाल जाति मीना निवासी हाथी दिलोद
5. रामसिंह पुत्र मोतीलाल जाति मीना निवासी हाथी दिलोद
6. अनिता आयु 30 वर्ष पतिन स्व0 कैलाश जाति मीना निवासी हाथी दिलोद
7. उमा आयु 3 वर्ष पुत्री कैलाश नाबालिग जर्येवली माता अनिता पत्नि कैलाश जाति मीना निवासी हाथी दिलोद तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर टी एक्ट

उपस्थिति :—

वादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री विनोद प्रताप सिंह।

प्रतिवादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री मोहन लाल सुमन।

निर्णय दिनांक 19/03/2020

पत्रावली पेश हुई प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251(क) आर0टी0एक्ट0 का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल दिलोद हाथी तहसील अटरू जिला बारां

में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी प्रार्थीगण क्रम 1 के खाता संख्या 8 की ख0नं0 266 का रकबा 1.53 है0 व प्रार्थी क्रम 2 की खाता सं0 70 की ख0नं0 191 का रकबा 1.93 है0 आराजी दर्ज खाता चली आ रही है नकल जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071, एवं नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। वाके ग्राम एवं माल दिलोद हाथी तहसील अटरू मे अप्रार्थी के कब्जा काश्त एवं स्वामित्व की आराजी ख0नं0 265 का रकबा 1.05 है0 आराजी दर्ज खाता चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 एवं नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। ख0नं0 265 व ख0नं0 194 दिलोद हाथी से उम्मेदगंज रोड के लगवी स्थित है। प्रार्थीगण दिलोद हाथी से उम्मेदगंज रोड़ पर होकर ख0नं0 265 व ख0नं0 194 की मध्य मेड पर होकर लगभग 50.60 वर्षो से निकलते चले आ रहे है। ख0नं0 266 व 191 पर प्रार्थीगण हमेशा से ही हल कुली, ट्रेक्टर ट्रोली कृषि यन्त्र व अन्य सामान एवं फसल को लाते ले जाते रहे है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खेत ख0नं0 266 व 191 पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता मौके पर नही है। ख0नं0 194 के खातेदार कालूलाल को प्रार्थीगण को निकलने में कोई आपत्ति नही है। इस कारण उसे पक्षकार नही बनाया गया है। ख0नं0 265 व 194 के मध्य की मेड पूर्व में 8–10 फुट चौडी थी जिसे अप्रार्थी बद्रीलाल द्वारा फाड़ कर अपने खेत ख0नं0 265 में मिला कर रास्ता अवरूद्ध करने पर आमादा है। तथा निकलने पर गाली गलोच कर लडाई झगडा करने पर आमादा रहता है यदि अप्रार्थी द्वारा रास्ता अवरूद्ध कर दिया गया तो प्रार्थीगण अपने खेत ख0नं0 266 व 191 पर हल कुली, ट्रेक्टर ट्रोली, कृषि यंत्र आदि लाने ले जाने से महरूम हो जावेगें जिससे खेत पडत रह जावेगें फसल की बुवाई नही कर पायेंगें फसल काट कर घर नही ला पायेगें, जिससे अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नही होगी। प्रार्थीगण के उक्त रास्ते को बिना माननीय न्यायालय की सहायता के यथावत नही रखा जा सकता है। अस्तु प्राथीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी को पाबन्द फरमाया जावे कि वह मौके पर रास्ते को अवरूद्ध नहीं करें, रास्ते को यथावत बनाये रखे तथा प्रार्थीगण को अपने खेत ख0नं0 266 व 191 में आने जाने, हलकुली, ट्रेक्टर ट्रोली लाने ले जाने में किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं उत्पन्न करें न ही ऐसा कृत्य अपने प्रतिनिधियों द्वारा करावें। तथा राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में रास्ता दर्ज करने का

आदेश श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू को प्रदान किया जावें। विवादग्रस्त रास्ता एवं पक्षकारान तहसील क्षैत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी को पाबन्द फरमाया जावें कि वह मौके पर रास्ते की स्थिति यथावत बनाये रखे, रास्ते को अवरूद्ध नहीं करें तथा प्रार्थीगण को अपने खेत ख0नं0 266 व 191 में आने जाने हल कुली, ट्रेक्टर ट्रोली, आदि लाने ले जाने में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं न ही अपने प्रतिनिधियों द्वारा उत्पन्न करावें एवं तहसीलदार साहब अटरू को आदेश प्रदान किया जावे कि वे राजस्व राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में रास्ता का अंकन करें।

इस प्रकरण का निर्णय 26.09.2017 को किया गया था जिससे अप्रसन्न होकर प्रतिवादी द्वारा अपील माननीय न्यायालय भू– प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा यह अपील की गई जिसके निर्णय दिनांक 22.10.2018 से इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.09.2017 को अपास्त कर पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाकर कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है या नही तथा पूर्व मे जिस प्रकार आते जाते थे उपरोक्त बिन्दुओं का परिक्षण कर नियमानुसार नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

पक्षकारान की तलबी की गई तथा प्रकरण में तहसीलदार अटरू से मौके की रिपोर्ट कोई वैकल्पिक रास्ते बाबत् रिपोर्ट ली गई तहसीलदार अटरू दिनांक 17.03.2020 को रिपोर्ट पेश की गई जिसमें कथन किया गया कि ग्राम दीलोदहाथी की आराजी ख0नं0 266 रकबा 1.53 है0 भूमि पर आने जाने के रास्ते का मौका देखा गया मुताबिक राजस्व रिकार्ड ख0नं0 266 पर आने जाने हेतु नक्शे लठ्ठे में कोई रिकार्डेड रास्ता दर्ज नही है। दीलोदहाथी से उम्मेदगंज रास्ते की तरफ से ख0नं0 266 पर आने के लिये ख0नं0 265 व 194 की बीच की मेड से होकर आना पडता है। वर्तमान मे मौके पर ख0नं0 265 का 194 की बीच की मेड पर कच्ची गडार बनी हुईहै। इसी प्रकार मेगा हाईवे कवाई सांगोद से ख0नं0 266 पर आने के लिए ख0नं0 370 व 371 की बीच की मेड पर बने हुये कच्चे रास्ते से आना पडता है। ख0नं0 370 व 371 की

बीच की मेड पर बना रास्ता ख0नं0 370 व 371 की उत्तरी मेडसे आगे ख0नं0 180 व 179 की मेड पर खत्म हो जाता है। इसके बाद पैदल ख0नं0 191 व 266 पर जाया जा सकता है। ख0नं0 266 ख0नं0 191 के लगवा है ख0नं0 266 के खातेदारों द्वारा यह भूमि पूर्व में ख0नं0 191 के खातेदारों से क्रय की गई थी ख0नं0 191 व ख0नं0 266 के मध्य ख0नं0 2192/191 पडता है जो भी ख0नं0 191 के खातेदारों द्वारा बैचान किया गया था ख0नं0 266 रकबा 1.53 है0 भूमि अन्जना कुमारी पत्नि चन्द्रप्रकाश जाति धाकड सा0 अमलावदा हाली तहसील छीपाबडौद हाल मुकाम अटरू के नाम दर्ज है। ख0नं0 194 रकबा 3.18 है0 भूमि बृजमोहन प्रेमराज पुत्र कालूलला वगै0 जाति मीणा सा0 देह के नाम खाता दर्ज है। ख0नं0 265 रकबा 1.05 है0 भूमि बद्रीलाल पुत्र मन्नालाल जाति मीणा सा0देह के नाम खाता दर्ज है। ख0नं0 191 रकबा 1.93 है0 भूमि कुन्जबिहारी पुत्र हरिकिशन जाति धाकड सा0देह के नाम खाता दर्ज है। ख0नं0 266 दिलोदहाथी से उम्मेदगंज रास्ते से 80 मीटर दूरी पर है। और मेगा हाईवे कवाई सांगोद से लगभग 280 मीटर दूरी पर स्थित है। कवाई सांगोद रोड से ख0नं0 370 व 371 की उत्तरी मेड से आगे ख0नं0 179 की उत्तरी मेड तक मौके पर प्रचलित रास्ता मौजूद है। इसके बाद ख0नं0 180 से ख0नं0 191 तक कोई रास्ता मौके पर नही है। पैदल चलकर ख0नं0 191 पहुंचा जाता है। ख0नं0 191 के खातेदारों द्वारा की ख0नं0 266 का बैचान किया गया था पूर्व में ख0नं0 191 व ख0नं0 266 के खातेदार एक ही थे ख0नं0 191 पर जाने के लिये ख0नं0 180 व 181 की मेड होकर रास्ता दिया जाना उचित है।

अभिभाषकगण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा ग्राम दिलोद हाथी की ख0नं0 266 व 191 पर पहुंच हेतु रास्ता चाहा गया है।

रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार सुगम रास्ता ख0नं0 194 की दक्षिण सीमा जो ख0नं0 265 से लगी हुई है, जिसकी दूरी मात्र 80 मीटर होना बताया गया है। पूर्व में निर्णय दिनांक 26.09.2017 को ख0नं0 265 व 194 की मध्य मेड से रास्ता दिया गया था जो माननीय न्यायालय RAA कोटा द्वारा अपास्त कर दिया गया था तहसीलदार अटरू द्वारा अपनी रिपोर्ट में ख0नं0 370 उत्तरी दक्षिण मेड पर ख0नं0 179 के कोने तक रास्ता होना भी बताया गया इसके आगे ख0नं0

180, 183, 182, 181 की मेड पर होकर वर्तमान में वादी का पैदल आना जाना बताया गया है। लेकिन मौके पर रास्ता नही है। व सुगम रास्ता भी नही है। इसकी दूरी 280 मीटर दूर पडती है।

अतः रिपोर्ट तहसीलदार अटरू अनुसार ख0नं0 194 की दक्षिण सीमा जो ख0नं0 265–266 तक 265 की उत्तरी मेड छोडकर उसके समान्तर 10 फीट चौडा व 80 मीटर लम्बा रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–:क्रियात्मक आदेशः–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) स्वीकार किया किया जाता है प्रार्थीगण को अपने खाते की आराजी ख0नं0 266 व 191 पर पहुंच हेतु उम्मेदगंज हाथी दिलोद के रास्ते से ख0नं0 194 में से 10 फीट चोडा व 80 मीटर लम्बा रास्ता दिये जाने के आदेश किये जाते है। तथा ख0नं0 191 खातेदार द्वारा ही 266 विक्रय किया है।

अतः दौनो खातेदार आपसी सहमति से ख0नं0 266 से 191 तक जाने का रास्ता देगे। तहसीलदार अटरू नियमानुसार DLC का दुगना जमा करवाकर रास्ता कायम करें।

निर्णय आज दिनांक 19/03/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.04.02 11:32:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: